न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूँ

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम बेगूं

मु. मोहनी बनाम मांगीदास

करम मुकदमा वाद अ. धा. 188RTA नं. 19/ सन् 12

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.7.24	पत्रावली पेश हुई वकील काउन्टर क्लेम कर्ता उप. प्रकरण मे पूर्व मे वकील काउन्टर क्लेम कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नि. 03-4 जा. दी. पर एक तरफा बहस सुनी गई, वकील काउन्टर क्लेम कर्ता ने अपनी बहस प्रा. पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि मृतक मांगी दास बैरागी की मृत्यु हो गयी है। जिसका उत्तराधिकारी राधेश्याम पुत्र मांगी दास बैरागी है। मृतक मांगी दास बैरागी ने दिनांक 7-1-2008 को वसीयत लिख कर राधेश्याम को अपना वसीयती उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया है। जिससे मृतक मांगीदास के स्थान पर राधेश्याम पुत्र स्व. मांगी दास बैरागी को वाद पत्र मे रिकार्ड पर लिया जाकर प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जावे। प्रकरण मे वकील काउन्टर क्लेम कर्ता की एक तरफा बहस को ध्यान पूर्वक सुनी गई एवं प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा. पत्र. O.22.R. 3-4 CPC व दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया। उक्त प्रा. पत्र मे मृतक मांगी दास पिता देवा दास बैरागी कि ओर से निवेदन कर रहा है। जबकी मांगी दास बैरागी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दि. 18.12.20 को मृत्यु हो चुकी है? मृतक प्रा. पत्र कैसे पेश कर सकता है? एवं प्रा. पत्र के साथ वसीयत नामा की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया अवलोकन मे मृतक मांगी दास की दो पत्नियां थी। पहली पत्नि के एक लड़का राधेश्याम व दो पुत्रिया नन्द कंवर व बदाम बाई है तथा दुसरी पत्नि के शांतिलाल, कैलाश है। जो मांगी दास बैरागी के विधिक वारिसान है। इनको भी पक्षकार बनाया जाना था। जो कि प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया है।	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो
	प्रकरण मे वकील काउन्टर क्लेम कर्ता वसीयत नामा के आधार पर सिर्फ राधेश्याम को विधिक वारिस बनाकर कायम मुकाम का प्रा. पत्र पेश किया है। हमारी विनम्र राय से कोई भी खातेदार अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद को परिवार के किसी एक व्यक्ति के पक्ष मे वसीयत नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति मे मांगीदास बैरागी के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाना आवश्यक था। जो कि काउन्टर क्लेम कर्ता नहीं बनाया गया। जैसा की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ये स्पष्ट हुआ है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है जिसमे परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा निहित होता है चूंकी मांगीदास के दो पत्नीयां थी जिनसे पैदा हुए सभी पुत्र पुत्रीयों का हिस्सा होने से वसीयत के आधार पर अन्य मांगीदास के वारिसान को सुने बिना किसी एक को मांगीदास का उत्तराधिकारी बनाया जाना न्याय संगत नही होता है। अत: प्रार्थना पत्र आदेश 22 नि. 3 व 4 जा. दी. का खारिज किया जाता है। साथ ही काउन्टर क्लेम कर्ता के उत्तराधिकारी रिकार्ड पर नही लिये जाने से काउन्टर क्लेम [प्रतिवाद पत्र] उत्तराधिकारीयो के अभाव मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	[signature]	